उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000)

THE UTTAR PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2000

(U.P. Act No. 23 of 2000)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2006
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 2007
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 2007
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 05, 2010
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2013
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2015

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 7 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 8 मई, 2000 के प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 पर उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

[2][(क) ''विद्यालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या किसी संस्था से है और उसके अन्तर्गत धारा 26 क. 26–ख और 26–ग के अधीन निर्दिष्ट क्रमशः स्वायत्त महाविद्यालय घटक महाविद्यालय और सहयुक्त महाविद्यालय भी होंगे;**]**

(ख) ''विद्यमान विद्यालय'' का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यालय या संस्था से है, जो प्राविधिक शिक्षा प्रदान कर रहा हो और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा चलाया और पोषित किया जाता हो और इसके अंतर्गत ऐसे विश्वविद्यालय का कोई संकाय भी है जो प्राविधिक शिक्षा प्रदान कर रहा हो;

(ग) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(घ) ''विहित' का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है;

(ङ) ''प्रधानाचार्य'' का तात्पर्य विद्यालय के प्रधान से है, चाहे उसे जिस नाम से जाना जाय, और उसके अंतर्गत, जहां कोई प्रधानाचार्य न हो, वहां प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति और प्रधानाचार्य या कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक रूप से नियुक्त उप प्रधानाचार्य भी है;

(च) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम से है;

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।
2. उ. प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छ) ''प्राविधिक शिक्षा'' का तात्पर्य अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, वास्तुविद प्रबंध, नगर योजना, भेषजी और व्यवहारिक कला और शिल्प में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों से है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय प्रौद्योगिकीय शिक्षा परिषद के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे;

[1] [(ज) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है।]

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

[2] **[3**–(1) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक को विद्यमान महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ विलीन हो जायेगा और ऐसे विलयन के पश्चात् स्थापित विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक को कुलाधिपति, कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद तथा इस रूप में गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में पद धारण करने वाले अन्य प्राधिकारियों से मिल कर विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित होगा।**]**

[3] [**2–क** उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या से, इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ कहा जायेगा।]

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के विलयन से सम्बन्धित अन्य मामलों यथा शैक्षिक प्रशासनिक, वित्तीय आदि का निपटारा ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय।]

शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग

[4][**4**–(1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगी।

(2) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रत्येक विद्यालय या संस्था, जो धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध या सहयुक्त रही हो अथवा उनका एक घटक महाविद्यालय या संस्था रही हो, को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त समझा जायेगा अथवा उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर जैसा वे पूर्व में थे जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा विहित न हो, विश्वविद्यालय का यथास्थिति, घटक महाविद्यालय या संस्था बन जायेगी।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2015 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2013 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2015 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2013 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पक्षों के लिए होगा

5–विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, भले ही वे किसी वर्ग या मत के हों:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्व विद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में विनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है :

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय किसी विद्यालय को अनन्य रूप से महिलाओं के लिए पोषित कर सकती है।

विश्वविद्यालय की शक्तियों और कर्तव्य

6–विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) प्राविधिक शिक्षा में, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना और उनका उन्नयन करना और उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से प्राविधिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए उद्यमिता और सहायक वातावरण के निर्माण करना;

(ख) किसी विद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करना या पहले से ही सम्बद्धता प्राप्त किसी विद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और ऐसे विद्यालयों का मार्ग दर्शन करना और उनके कार्य का नियंत्रण करना;

(ग) उपाधियों या [1]**[**ऐसी अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें जो विहित की जाए**]** और प्रदान करना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और उन्हें उपाधियों या [1]**[**ऐसी अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें जो विहित की जाए**]** प्रदान और सम्प्रदान करना –

(एक) जिन्होंने किसी विद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(दो) जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो;

(ङ) विनियमों में अधिकथित रीति और शर्तो के अधीन मानद उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(च) विनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(छ) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों द्वारा नियत किये जायें;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2013 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ज) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और समुदायों में प्राविधिक शिक्षा को उन्नति के लिए उपबन्ध करना;

(झ) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करना —

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर या तत्समान अन्य संगठनों का पोषण;

(दो) शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण; और

(तीन) खेलों और खेल—कूद क्लबों;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ट) राज्य सरकार या केंद्र सरकार से उपहार, अनुदान, दान या सन्दान प्राप्त करना और यथास्थित, वसीयतकर्ता, दानकर्ता, या अन्तरक से चल या अचल सम्पत्ति की वसीयत दान या अन्तरण प्राप्त करना और उसे धारण करना और उसका प्रबन्ध करना;

(ठ) विद्यालयों की सम्बद्वता की शर्ते अधिकथित करना और समय—समय पर निरीक्षण द्वारा यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही हैं;

(ड) अन्य विश्वविद्यालयों या प्राधिकारियों से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें विश्वंविद्यालय समय—समय पर अवधारित करे, सहकार्य या सहयोग करना;

(ढ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे ये उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो ।

अध्याय—3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

7—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होगे :—

(क) कुलाधिपति;
(ख) कुलपति;
(ग) प्रति कुलपति;
(घ) वित्त अधिकारी;
(ङ) कुलसचिव;
(च) परीक्षा नियंत्रक;
(छ) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये ।

कुलाधिपति

8—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा । वह अपने—अपने पद आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ।

(2) सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से संबंधित ऐसी सूचना या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करें।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होगी जो उसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाये ।

कुलपति

9—(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) प्राविधिक शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव, जो समिति का संयोजक भी होगा;

(ख) अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति ।

[1][(3)(क) केवल ऐसे व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(ख) कुलपति अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहली हो, पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, को इस रूप में दूसरे कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जा सकेगा :

परन्तु कुलाधिपति भी संबोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग कर सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग–पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।]

(3) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(4) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधारित की जायें:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी कुलपति की उपलब्धियों और सेवा को अन्य शर्तें में उसकी कार्यकाल के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(5) जहां कुलपति अनुपस्थित अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, वहां प्रति कुलपति तब तक कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि कुलपति अपना पदभार पुनः ग्रहण कर ले।

(6) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान–बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए हितकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकता है।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच के अनुध्यात रहते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय,–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे यह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

कुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य

10–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और,–

(क) विश्वविद्यालय और विद्यालयों के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगें कि ऐसो परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जाये और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो ।

(2) कुलपति कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा ।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हों ।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगीः

प्रतिबन्ध यह है कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) जहां कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें विनियमों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगाः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगाः

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकती है या उसे उलट सकती है ।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि विनियमों द्वारा निर्धारित की जायें ।

11–(1) कुलपति, कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विद्यालयों के आचार्यों में से किसी एक को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकता है। **प्रतिकुलपति**

(2) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) प्रतिकुलपति ऐसा मानदेय पाने का हकदार होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय–समय पर इस निमित्त यथाविनिर्दिष्ट करें और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति उसे सौपें या प्रत्यायोजित करें।

12–(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा । **वित्त अधिकारी**

(2) वित्त अधिकारी, कार्यपरिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) वित्त अधिकारों की कार्यपरिषद में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का हकदार न होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से भिन्न कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों के किन्हीं निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(5) वित्त अधिकारी, की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उनकी राय में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।

(6) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं।

13–(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा। **कुल सचिव**

(2) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी विहित की जाय।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुलसचिव, के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद् का पदेन सचिव होगा, और वह कार्य परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विहित किये जाये या कार्यपरिषद् या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुल सचिव को विनियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायगा और न वह स्वीकार करेगा ।

14–(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा । **परीक्षा नियंत्रक**

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और इसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियम द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा वह किसी विद्यालय से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

(4) कुलपति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक, अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुलसचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबंध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा ।

(7) यदि कभी परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रण के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा संपादित किया जायगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

अन्य अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य सेवा की निबन्धन और शर्तें

15–इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुल सचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों के नियुक्ति के ढंग, सेवा के निबन्धन और शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसी होंगी जैसे विहित की जायं।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16–विश्वविद्यालय के निम्न प्राधिकारी होंगे, अर्थात :–

(क) कार्य परिषद्;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) वित्त समिति;

(घ) परीक्षा समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाये।

कार्यपरिषद् का गठन

17–[1][(1) – कार्यपरिषद में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो,

(ग) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की या उसका नामनिर्देशिती, जो ज्येष्ठ आचार्य से निम्न पंक्ति का न हो ;

(घ) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर या उसका नामनिर्देशिती, जो ज्येष्ठ आचार्य से निम्न पंक्ति का न हो ;

(ङ) राज्य सरकार में प्राविधिक शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो,

(च) राज्य सरकार में वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्नपंक्ति का न हो ;

(छ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या नामनिर्देशितीय;

(ज) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित उद्योगपति,

(झ) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो ख्याति प्राप्त प्रौद्योगिकीविद्।

(ञ) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट विद्यालयों के दो प्राचार्य। **]**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 2010 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को कार्यपरिषद के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(3) खण्ड (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(4) कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट होंने और सदस्य बने रहने के लिए अनर्हं होगा यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में, या उसके निमित्त; किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक, या विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है।

स्पष्टीकरणः–इस उपधारा में ''नातेदार'' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी, (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री भी है।

कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य

18–(1) कार्यपरिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात्ः–

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(ग) कुलपति की उपलब्धियों और सेवा के निबंधनों और शर्तों की संस्तुति करना;

(घ) शैक्षिक कार्यक्रमों को अनुमोदित करना;

(ङ) विनियमों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;

(च) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छ) विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन, करना;

(ज) विश्वविद्यालय की किसी जंगम, स्थावर या बोधिक संपत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(झ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार और उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश देना;

(ञ) ऐसी समितियां नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए अपेक्षित हों;

(ट) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की परिलब्धियों और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें अवधारित करना;

(ठ) विश्वविद्यालय के बैंक लेखों का संचालन प्राधिकृत करना;

(ड) इस अधिनियम या विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना ।

(2) कार्य परिषद् की प्रत्येक बैठक ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर होगी जो कुलपति द्वारा नियत की जाय।

(3) कार्यपरिषद् के सदस्य ऐसा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा विहित किया जाय।

(4) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यपरिषद्, बंधक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर संपत्ति का (सिवाय साधारण प्रबंध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अंतरण करेगी और न सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी ।

(5) कार्य परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) कार्य परिषद, विनियमों में निर्धारित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुये; विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को यह अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी ऐसी कोई शक्ति जिसे वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकती है ।

विद्या परिषद

19–(1) विद्यापरिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसकी ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसे उसे विनियमों द्वारा प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें और वह विद्या संबंधी समस्त विषयों पर कार्यपरिषद को सलाह दे सकती है।

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(क) कुलपति; : अध्यक्ष

(ख) प्रतिकुलपति; : सदस्य

(ग) विद्यालयों के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्य परिषद् के सदस्य न हों; : सदस्य

(घ) रुड़की विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष; : सदस्य

(ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट उक्त संस्थान का एक विभागाध्यक्ष; : सदस्य

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

वित्त समिति

20–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति; : अध्यक्ष

[1][(ख) राज्य सरकार ने वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो ; : सदस्य

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 2010 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1] [(ग) राज्य सरकार में प्राविधिक शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती के विशेष सचिव से निम्न पंकित का न हो।] : सदस्य

(घ) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य; : सदस्य

(ङ) वित्त अधिकारी। : सदस्य

(2) वित्त समिति कार्यपरिषद को विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है और इस प्रकार नियत सीमा कार्यपरिषद् पर आबद्धकर होगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(4) जब तक कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्यपरिषद् उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

परीक्षा समिति

21–(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जो विनियमों में यथा उपबंधित रूप में गठित की जायगी।

(2) समिति सामान्यतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन और सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :–

(क) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्यापरिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्यापरिषद् को सिफारिश करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की समीक्षा करना; उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतयां किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उपसमितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 2010 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथा–स्थिति, किसी उपसमिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विर्वजित करना विधिपूर्ण होगा । यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करने का दोषी हो ।

(5) इस अधिनियम और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे ।

अन्य प्राधिकारी

22–विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन उनकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जायें।

अध्याय–5

सम्बद्धता

विद्यालयों की सम्बद्धता

23–(1) यह धारा विद्यालयों पर लागू होगी।

(2) कार्यपरिषद्, [1][राज्य सरकार की पूर्व अनुमति/अनुमोदन से] सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले विद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी विद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी ।

(3) किसी विद्यालय के लिए उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य विद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा ।

(4) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, किसी विद्यालय का प्रबंतंत्र विद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध पर नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होगा पर उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक विद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणिया तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्य परिषद् या कुलपति मांगे ।

(6) कार्यपरिषद्, प्रत्येक विद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय–समय पर पांच वर्ष से अधिक अंतरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को भेजी जायगी।

(7) कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी विद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

(8) कार्यपरिषद द्वारा किसी ऐसे विद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी निर्देश का अनुपालन करने में या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, विद्यालय के प्रबंधतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद [2][राज्य सरकार] की पूर्व मंजूरी से विनियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

(9) उपधारा (2) और (8) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी विद्यालय का प्रबंधतंत्र संबद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है तो [2][राज्य सरकार], प्रबंधतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा या उसमें कमी कर सकेगा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 2007 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 2007 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रबन्धतंत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता

24–कोई भी व्यक्ति (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित विद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय के प्रबंधतंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह या उसका नातेदार ऐसे विद्यालय में या उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक या ऐसे विद्यालयों को माल का प्रदान करने के लिए या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है ।

स्पष्टीकरणः–पद ''नातेदार'' का वही अर्थ होगा जो उसके लिए धारा 17 की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

निरीक्षण और जांच

25–(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जैसा वह निर्देश दे, किसी विद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और विद्यालय द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षण, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे विद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में जांच कराने का अधिकार होगा ।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निश्चय करे तो वह उसकी सूचना विश्वविद्यालय के प्रबंधतंत्र को देगी और प्रबंधतंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबंधतंत्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में सफल रहे तो विश्वविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबंधतंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा। किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय विश्वविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिए तथा दस्तावेज और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

(4) राज्य सरकार विद्यालय के प्रबंधतंत्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश दे सकेगी और प्रबंधतंत्र ऐसे निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगा ।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबंधतंत्र को दी गयी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपति कार्य परिषद् को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह को संसूचित करेगा ।

(6) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे उसे कार्यपरिषद द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जैसा यह समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देश से बाध्य होंगे।

(8) राज्य सरकार किसी भी समय विश्वविद्यालय के प्रबंधतंत्र या प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जांच के सम्बन्ध में कोई जानकारी मांग सकेगी।

संस्थान

26–विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा।

स्वायत्त महाविद्यालय

[1][**26–क** (1) विश्वविद्यालय किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को जो इस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करे स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकार, ऐसी रीति से जैसी महाविद्यालय विहित की जाय प्रदान कर सकेगा। ऐसा महाविद्यालय उसमें शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर सकेगा और इस प्रकार परिवर्तित पाठयक्रमों में परीक्षा ले सकेगा।

(2) पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर सकने की सीमा तथा ऐसे महाविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाएं लेने की रीति प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जायेगी।

(3) ऐसा महाविद्यालय ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया जायेगा।

घटक महाविद्यालय

26–ख (1) घटक महाविद्यालय ऐसे होंगे जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अभिहित घटक महाविद्यालय किया जाय।

(2) किसी घटक महाविद्यालय का प्रधानाचार्य महाविद्यालय में अभ्यावेशित छात्रों के अनुशासन के लिये उत्तरदायी होगा और घटक महाविद्यालय को आवंटित किये गये लिपिक वर्गीय एवं अवर वर्गीय कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाय और जो प्रधानाचार्य के लिए विनिर्दिष्ट हों।

26–ग (1) सहयुक्त महाविद्यालय या तो राजकीय महाविद्यालय होगा या राजकीय महाविद्यालय समिति महाविद्यालय होगा/ऐसे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा सहयुक्त महाविद्यालय के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।

(2) किसी सहयुक्त महाविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय के साथ शिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यवस्था करे।]

विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

27–किसी विद्यालय के प्रबंधतंत्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे विद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से या उसकी ओर से विनियमों में निर्धारित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

विद्यालय को अंशदान और दान

28–जहां किसी विद्यालय द्वारा, जिसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित विद्यालय भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में लिया या प्राप्त किया जाता है, वहीं इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए वह विद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित विद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाते में जमा किया जायगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2006 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय छः

विनियम

विनियम कैसे बनाये जायेंगे

29–(1) विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाए जायेंगे ।

(2) कार्यपरिषद समय–समय पर नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई विनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप से अभिव्यक्ति करने का युक्तियुक्त न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार न किया गया हो ।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी निश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपरिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त विनियम बनाने या उपधारा (1) में या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्यपरिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।

विनियम

30–इस अधिनियम के अन्य अनुबन्धों के अधीन रहते हुए, विनियमों में विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विषय के लिए उपबंध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे:–

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना;

(ग) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(घ) उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन विद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान दिया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें और उनके लिए अर्हतायें और उसे प्रदान करने या प्राप्त करने के सम्बन्ध में ली जाने वाली धनराशि;

(छ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए और परीक्षा में प्रवेश, उपाधियों और विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए ली जाने वाली फीस;

(ज) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां विद्यावृत्तियां पदक और पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें,

(झ) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षण निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पद की शर्तें और उनके नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ञ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति को छोड़कर) और कर्मचारियों को हटाने की शक्ति और उनकी परिलब्धियां और सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(ट) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा विनियमों में उपबन्धित किये जाने हो या किये जा सकेंगे।

अध्याय–7

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जाएगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो विहित किया जाय

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

32–(1) विद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति व्यक्तियों द्वारा जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पंद्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण कार्यपरिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

अधिभार

33–(1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी धन या संपत्ति की हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निदेश दे सकेगी।

(2) विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी उपेक्षा या कदाचार के कारण उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन हुआ है, एक नोटिस जारी करके उसे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करे।

(3) राज्य सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकेगी–

(4) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाय तो अधिभार भू-राजस्व के बकाये के रूप में, या ऐसी अन्य रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की वसूल किया जायगा ।

अध्याय–8

विविध

प्राधिकारियों के अधिकारियों और सदस्यों को नियुक्ति करने की रीति

34–(1) इस अधिनियम या विनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में से सदस्य, यथा संभव निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे ।

(2) जहां इस अधिनियम या विनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता या अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध किया गया है वहां चक्रानुक्रम ज्येष्ठता और अन्य अर्हतायें अवधारित करने की नीति वही जो विहित की जाय ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

35–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति को पूर्ति उसी रीति से को जायगी जिस रीति से वह सदस्य जिसको रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे अधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहरी, तब तक ऐसा प्राधिकारी अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

36–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि:–

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन नाम–निर्देशन या ऐसी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

[1]**[36–क**–राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को नीति विषयक मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो। ऐसे निदेशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा।**]**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2006 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

37–कार्यपरिषद उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है जो सभा की राय में नैतिक अधमता संबंधित अपराध हो, या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी, और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत या मंजूर की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र वापस ले सकेगी।

कुलाधिपति को निर्देश

38–यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अंतर्गत विनियम की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश,–

(क) उस दिनांक के जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात, या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायगा।

वाद का वर्णन

39–राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में किसी कार्य के लिए न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख की सिद्ध करने की रीति

40–(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती जो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसको अन्तर्वस्तु उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की, या उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम पर अस्थायी उपबंध

[1]**[40–क** उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 प्रारम्भ होने के दिनांक से किन्ही नियमों, परिनियमावली, अध्यादेश तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के सांविधिक लिखतों में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों के सांविधिक अस्थायी उपबंध लिखतों के किसी संदर्भ को गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ का संदर्भ मान लिया जायेगा।**]**

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2013 की धारा 6 द्वारा बढाया गया।

[1] **[40–ख** उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से किन्हीं नियमों, परिनियमों, विनियमों, अध्यादेशों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के सांविधिक लिखितों में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में उत्तर प्रदेश प्राविधिक, लखनऊ को किये गये किसी संदर्भ को डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का संदर्भ माना जायेगा।**]**

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

41–(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसो कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु [2][30 जून, 2014] के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

(3) उपधारा (1) के न किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

———

उद्देश्य और कारण

राज्य में प्राविधिक शिक्षा प्रदान कर रही संस्थानों की कमी के कारण प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र बड़ी संख्या में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या का निराकरण करने की दृष्टि से निजी क्षेत्र में ऐसी संस्थानों की स्थापना के लिए अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। ये संस्थायें विभिन्न विश्वविद्यालयों से सहबद्ध हैं जिनसे उन्हें उचित सहयोग और मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं होता है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि राज्य में प्राविधिक शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए एक प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 पुरःस्थापित किया जाता है ।

———

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2015 की धारा 4 द्वारा बढाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2013 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।